संसद के समक्ष अभिभाषण – 9 फरवरी 1959

लोक सभा	-	दूसरी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर

माननीय सदस्यगण,

संसद के नये सत्र का भार संभालने के समय आपका मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं।

दूसरी पंचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष समाप्त होने जा रहा है। अपने गत फरवरी के अभिभाषण में मैंने आपका ध्यान हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले दबावों की ओर आकर्षित किया था। मैंने यह कहा था कि मेरी सरकार की यह उत्कट इच्छा है कि इन कठिनाइयों के कारण हमारे विकास के कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिये और पुनर्विचार, कार्य-प्रणाली में संशोधन और योजनानुसार साधनों को जुटा कर इन कठिनाइयों पर काबू पाना चाहिये।

गत वर्ष मई में और फिर नवम्बर, 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने दूसरी योजना से संबंधित साधनों के प्रश्न पर, उत्पादन की समस्या पर और क्रमिक विकास पर विचार किया, और उसने यह फैसला किया कि योजना का कुल खर्चा 4500 करोड़ रुपये होना चाहिये और इसे बचत और साधनों में वृद्धि द्वारा प्राप्त करना चाहिये।

मेरी सरकार की आर्थिक नीति का यह लक्ष्य है। विदेशी मुद्रा के व्यय और भावी उपयोग को कम करने, कीमतों के बढ़ाव को रोकने, और विदेशों में होने वाली आय को बढ़ाने के लिए उपाय अपनाये गये हैं। बहुत सी चीजों पर से निर्यात कर हटा लिया गया है या कम कर दिया गया है और निर्यात के कोटे को बढ़ा दिया गया है। विदेशी

व्यापार संबंधी नियमावली पर पुनर्विचार के परिणामस्वरूप अगस्त, 1958 में 200 वस्तुओं पर से निर्यात कन्ट्रोल हटा लिया गया और जिन चीजों पर निर्यात का प्रतिबंध था, उनकी सूची में काट-छांट की गई।

अस्थायी कठिनाई पर पार पाने की दृष्टि से मेरी सरकार को विदेशों से ऋण तथा सहायता आदि प्राप्त करने में सफलता मिली है। अधिक सहायता के लिए बातचीत जारी है। यह सहायता और ऋण जो हमें विदेशों से मिले हैं और जिनके लिए मेरी सरकार और हमारे देशवासी आभारी हैं, किसी भी प्रकार की राजनीतिक शर्तों से मुक्त हैं। भावी सहायता के लिए बातचीत भी इसी आधार पर की जायेगी।

हमारी दूसरी योजना देश के आर्थिक विकास के व्यापक कार्यक्रम का एक अंग है। जो कदम हम इस समय उठा रहे हैं, वे योजनाबद्ध सम्पन्नता के लम्बे और कष्टप्रद मार्ग में पड़ाव मात्र हैं। मेरी सरकार ने योजना आयोग के द्वारा तीसरी योजना के संबंध में अध्ययन तथा सोच-विचार आरंभ कर दिया है। आशा है कि हम मौलिक उद्योगों, कृषि उत्पादन और ग्रामीण उन्नति के संबंध में तीसरी योजना के अंत तक भावी विकास की नींव रख चुकेंगे, जिसके फलस्वरूप आत्मनिर्भर और स्वाश्रयी आर्थिक व्यवस्था का जन्म हो सकेगा।

आयोजना एक राष्ट्रीय प्रयास है जिसके लिए हर कदम पर राष्ट्र भर का सहयोग और सामूहिक प्रयत्न अपेक्षित है। इसलिए मेरी सरकार ने संसद के भीतर और बाहर सभी लोगों से यह याचना की है कि इस विषय में सब लोग रचनात्मक दृष्टिकोण रखेंगे और अपने विचार प्रकट करेंगे, भले ही वे आलोचनात्मक हों। इस काम के लिए मेरे प्रधानमंत्री और योजना आयोग सभी दलों का सहयोग चाहते हैं।

हमारा विचार है कि इस वर्ष के अंत तक तीसरी योजना की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार कर ली जाये। जब रूपरेखा विचार-विमर्श के बाद अनुमोदित हो जाये तब केन्द्र और राज्यों की योजनाओं पर विस्तार से सोच-विचार शुरू किया जाये। जिन लक्ष्यों को हमने स्वीकार किया है, उनमें से प्रधान यह है:– राष्ट्रीय आय में ठोस वृद्धि, शीघ्रतापूर्ण औद्योगीकरण, बड़े पैमाने पर रोजगार का विस्तार और आमदनी तथा सम्पत्ति की असमानताओं में कमी। सरकार घरेलू और छोटे उद्योगों को भी यथापूर्व सहायता देती रहेगी। विकास के काम में अभी तक हमें जो सफलता मिली है उसे हमें बनाये रखना है और उसकी गति को तेज करना है।

हमारी आर्थिक व्यवस्था के नियमन के लिए जो बातें सबसे जरूरी हैं उनमें सर्वप्रथम खाने-पीने की चीजें और इन चीजों के भाव हैं। हमारे आयोजन और उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक दूसरी बातें अधिकतर इन्हीं पर निर्भर करती हैं, जैसे विकास के काम के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धि, भुगतान सन्तुलन की स्थिति, देश के अन्दर मूल्य स्तरों की स्थिरता और मुद्रा बाहुल्य की प्रवृत्तियों की यथासमय रोकथाम।

फसलों को भारी नुकसान पहुंचने के बाद 1958 के आरम्भ में अनाज के बढ़ते हुए दामों को रोकने के लिये मेरी सरकार ने उस वर्ष के पहले 11 महीनों में 27 लाख 40 हजार टन अनाज विदेशों से मंगाया, देश के अन्दर अनाज के यातायात का नियमन किया और लोगों को अनाज उपलब्ध करने के लिए सस्ते दामों की दुकानें खोली गयीं। अनाज के व्यापारियों द्वारा अत्यधिक संचय की रोकथाम के लिए रिज़र्व बैंकों द्वारा उधार दिये जाने की नीति कड़ी कर दी।

इस दिशा में खुराक के मामले में आत्मनिर्भरता ही हमारी समस्या का संतोषजनक हल है। भरपूर प्रयत्न, खेती का काम लाभदायक हो, ये बातें उत्पादन में वृद्धि के लिए अनिवार्य रूप से जरूरी हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार भूमि संबंधी कानून में सुधार और सहयोग तथा ग्रामों को व्यापक कार्यक्षेत्र देकर प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी।

पिछले साल की अपेक्षा 1959-60 में फसलों की स्थिति आशाजनक है। इस वर्ष हम पर प्रकृति की कृपा रही है, और खाद्य तथा व्यापारी फसलें दोनों ही उत्साहवर्द्धक हैं। हमारी चावल की फसल बहुत बढ़िया रही और उसके कारण चावल के दामों में पहले ही कमी हो गई है। हमारा विचार है बड़े पैमाने पर चावल का संचय किया जाये और शासकीय व्यापार का विस्तार किया जाये। गेहूं और चने के भाव ऊंचे चढ़ गये हैं, किन्तु इस समय के लक्षणों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि रबी की फसल भी अच्छी होगी। भरपूर खेती के आन्दोलन, सिंचाई के छोटे साधनों पर अधिक जोर, सिंचाई के मौजूदा साधनों का पूरा उपयोग, सुधरे हुए तरीकों को अपनाने की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति और भूमि के संरक्षण-संबंधी कार्यक्रम का विस्तार—इन सब बातों के कारण ही खेती के क्षेत्र में और विशेषकर प्रधान फसलों के बारे में स्थिति आशाजनक हो पायी है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर ही यह निर्भर करता है कि हमारे देहातों में रहने वाली करोड़ों की जनसंख्या के लिए सच्चे अर्थों में लोकतन्त्र का विस्तार हो और वह प्रणाली कार्यान्वित हो। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तीन लाख गांव आ चुके हैं। जिनकी जनसंख्या साढ़े सोलह करोड़ के करीब है। इस कार्यक्रम में लोगों का अधिक सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपाय काम में लाये जा रहे हैं। ग्राम पंचायत को, जो हमारे लोकतन्त्र की आधारभूत इकाई है, अधिक साधन और अधिकार दिये जा रहे हैं। देहातों में सहयोग समितियां स्थापित और उन्नत की जा रही हैं जिससे कि सारा ग्रामीण क्षेत्र उनके अंतर्गत आ जाये।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है किन्तु कुछ उद्योगों को, खासकर सूती कपड़े के उद्योग को ठेस पहुंची है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में जिन उद्योगों में उत्पादन बहुत बढ़े हैं, वे हैं—मशीनी औजार, पैनिसिलीन, कृमिनाशक औषधियां, कागज और

गत्ता, डीजल इंजन, बिजली के मोटर, सलफ्यूरिक एसिड, कास्टिक सोडा, टायर, सिलाई की मशीनें, बाइसिकल और बिजली के पंखे। सार्वजनिक क्षेत्र में जो विस्तार की तथा दूसरी योजनायें इस समय कार्याधीन हैं, उनमें मशीन निर्माण, वैज्ञानिक खाद और औषधियां शामिल हैं। भोपाल, रांची और दुर्गापुर में बिजली का भारी सामान, भारी औद्योगिक मशीनें और खानों में खुदाई की मशीनें बनाने के कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं। वैज्ञानिक खाद के नये कारखाने नांगल, राउरकेला और नेवेली में लगाये जा रहे हैं और सिन्दरी का कारखाना बढ़ाकर बड़ा कर दिया गया है। जिन नई योजनाओं पर कार्य हो रहा है उनमें दवाइयां और एंटीबायोटिक्स तैयार करने के कारखाने शामिल हैं।

गत सप्ताह मुझे राउरकेला और भिलाई के इस्पात कारखानों का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां लोहे का उत्पादन शुरू हो चुका है। आशा है कि इस वर्ष के समाप्त होने से पहले इन कारखानों में इस्पात भी तैयार होने लगेगा। दुर्गापुर में भी पहली धमन भट्टी इसी वर्ष चालू हो जाने की आशा है। जमशेदपुर में इस्पात के कारखाने के विस्तार का कार्यक्रम करीब-करीब पूरा हो चुका है और कुछ ही महीनों में वहां अपेक्षित उत्पादन होने लगेगा। बर्नपुर के कारखाने का विस्तार इस वर्ष के अंत तक हो चुकेगा।

कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है। नेवेली लिग्नाइट योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में आगे कदम उठाये गये हैं। नेवेली थर्मल बिजलीघर की योजना स्वीकार कर ली गई है और इसके निर्माण का काम हाथ में ले लिया गया है।

पर्यवेक्षण और खोज द्वारा भू-गर्भ विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति हुई है और राष्ट्रीय खनिज पदार्थ निगम की स्थापना की गई है। कोयले, तांबे और जिप्सम की नई खानों का पता लगा है।

तेल और प्राकृतिक गैस के लिए जोरों से खोज की गई और उसका आशाजनक फल प्राप्त हुआ। तेल के लिए पंजाब में ज्वालामुखी और होशियारपुर में खुदाई जारी रखी गई और आसाम में शिवसागर में खुदाई शीघ्र ही शुरू की जायेगी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना बम्बई* राज्य में कैम्बे में तेल की खोज है, जहां तेल के कई स्रोतों के मिलने की आशा की जाती है। आशा है जोरों से खुदाई के परिणामस्वरूप इसी वर्ष कैम्बे में तेल के साधन प्राप्त हो जायेंगे। नाहरकटिया तेल क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के साधन भी मिले हैं।

आसाम में तेल साफ करने के कारखाने के निर्माण में सहायता और आवश्यक मशीनरी प्राप्त करने के लिए रूमानिया की सरकार के साथ समझौता कर लिया गया है।

*अब मुम्बई के नाम से जाना जाता है।

औद्योगीकरण की योजनाओं में राष्ट्रीय रसायनशालाओं ने महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंनें परीक्षण योजनाओं द्वारा अनुसंधान के परिणामों को उद्योगों पर लागू कर उत्पादन में सहायता दी है। यह काम विशेषकर इस्पात के कारखानों के लिए कोयले के साधनों को उपलब्ध करने, रिफ्रेक्टरी उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त करने और निजी क्षेत्र की कुछ समस्याओं को हल करने की दिशा में हुआ है। कहीं-कहीं ये रसायनशालाएं आयातित सामान की जगह स्वदेशी माल का उपयोग सुझाने में सफल हुई हैं और घटिया किस्म के धातुओं के लाभदायक उपयोग सुझाने में भी सहायक हुई हैं।

4 मार्च, 1958 के वैज्ञानिक नीति संबंधी प्रस्ताव के अंतर्गत उद्देश्यों पर अमल करने की दिशा में मेरी सरकार ने कदम उठाये हैं। राष्ट्रीय रसायनशालाओं और उद्योग में पारस्परिक सम्पर्क है। रसायनशाला ट्रेनिंग कोर्सों, अनुसंधान के लिए अनुदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ट्रेनिंग प्राप्त विज्ञानवेत्ताओं के उपलब्ध रहने से इस सम्पर्क को दृढ़ता तथा व्यापकता मिली है। यह निश्चय किया गया है कि दुर्गापुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विकास और अनुसंधान के लिए और नागपुर में सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग के लिए राष्ट्रीय रसायनशालाएं स्थापित की जायें।

सोवियत रूस और यूनेस्को की सहायता से इस वर्ष बम्बई में और जर्मनी के संघीय गणतन्त्र की सहायता से मद्रास में एक-एक उच्च टेक्नोलॉजिकल इन्स्टीट्यूट खोला जायेगा। इंग्लैंड की सहायता से दिल्ली में एक इन्जीनियरिंग कालेज स्थापित किया जा रहा है। इस कालेज की नींव परमश्रेष्ठ प्रिन्स फिलिप एडिनबरा के ड्यूक ने अपनी हाल की यात्रा के समय रखी थी।

संसद द्वारा स्वीकृत व्यय की सीमा में, कार्य-संबंधी और वित्तीय अधिकारों से सम्पन्न एक नया एटॉमिक एनर्जी कमीशन स्थापित किया गया है। केवल शांतिपूर्ण कामों में उपयोग के लिए आणविक शक्ति के विस्तार तथा प्रगति के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है और हो रही है इस दिशा में हमारे आयोजन का ध्येय उन मौलिक चीजों का उत्पादन है जिनका उपयोग चालन के लिए आणविक शक्ति का उपलब्ध कराना हो। न्यूक्लियर शक्ति के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आयोजन तीसरी योजना के अंतिम वर्षों में ही हो सकेगा, किन्तु मेरी सरकार ने न्यूक्लियर शक्तियुक्त कारखाने स्थापित करने का फैसला किया है जिनमें कम से कम 250 हजार किलोवाट की बिजली पैदा की जायेगी।

गत वर्ष मैंने अपने भाषण में आप से कहा था कि रिएक्टर्स के लिए एटॉमिक विशुद्धता और ईंधन पदार्थयुक्त यूरेनियम धातु का उत्पादन चालू वर्ष के अंत तक आरम्भ हो जायेगा। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि यूरेनियम धातु का कारखाना बन चुका है और उसका आवश्यक परीक्षण भी हो चुका है। एटॉमिक दृष्टि से विशुद्ध यूरेनियम धातु के प्रथम ढेले का उत्पादन 30 जनवरी, 1959 को हुआ। ईंधन पदार्थ के पैदा करने की सुविधायें जुटाने का काम भी अब बहुत आगे बढ़ चुका है।

बहुमुखी नदी घाटी योजनाओं का काम भी निर्धारित समय के अनुसार इस वर्ष आगे बढ़ा है। बाढ़ नियंत्रण के लिए नियुक्त उच्चाधिकार सम्पन्न समिति की रिपोर्ट मेरी सरकार के विचाराधीन है।

कलकत्ता* और मद्रास** के बंदरगाहों के सुधार के लिए 20 करोड़ रुपये लगेंगे जिसके लिये संबंधित अधिकारियों ने विश्व बैंक के साथ बातचीत कर वित्तीय समझौते किये हैं।

मेरी सरकार स्वेच्छा से और समझौते के आधार पर दोनों रूप से औद्योगिक संबंध सुधारने और बढ़ाने के प्रयत्न में सफल हुई है। एक अनुशासन नियमावली जो दोनों ओर के मालिक और मजदूरों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की मान्यता की आवश्यकता पर जोर देती है, मालिक और मजदूरों की सभी केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। इस नियमावली में व्यवहार के नियम बताये गये हैं। इसमें बताया गया है कि किसी भी ओर से एकतरफा कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, हड़ताल और कामबन्दी से बचना चाहिए और झगड़ों के बीच-बचाव तथा निपटारों के लिए जो साधन हों वे तुरन्त काम में लाये जाने चाहियें। नियमावली यह भी बताती है कि अपने-अपने दोषी सदस्यों के प्रति मजदूर और मालिक संस्थाएं क्या अनुशासन रखें। श्रम संबंधी कानूनों और निर्णयों की कहां तक अवहेलना हुई है, यह देखने के लिए और उन नियमों तथा निर्णयों को पूर्णरूप से कार्यान्वित करने के लिए एक त्रि-दलीय समिति बनाई गई है। एम्प्लाइज स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम, जिसमें करीब-करीब चौदह लाख मजदूर शरीक हैं, अब और अधिक लोगों पर लागू की जा रही है। संचालन कार्य में मजदूरों को हिस्सा देने की दिशा में कदम उठाया गया है और अब निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में कतिपय उद्योगों के लिए संयुक्त समितियां स्थापित की गई हैं।

आर्डनेन्स फैक्ट्रियों के उत्पादन में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप मेरी सरकार विदेशी मुद्रा में बचत कर सकी है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास तथा इसके लिए सुविधाओं के विस्तार की दिशा में भी कदम उठाये गये हैं। प्रतिरक्षा के साधनों के निर्माण के लिए आवश्यक माल और साधन की उपलब्धि की दिशा में कुछ प्रगति है।

अनुच्छेद 344 के अनुसार भाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसद के सदस्यों की जो समिति नियुक्त की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। चालू सत्र में उस पर विचार करने का आपको अवसर मिलेगा।

नागा पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। हिंसा और अराजकता की वारदातों में बहुत कमी हुई है नागा लोगों ने साधारण तौर से मेरी सरकार की नीति को पसन्द किया है। मई, 1958 में अखिल जनजाति सम्मेलन में अगस्त, 1957 में हुए

*अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है।

**अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है।

कोहिमा सम्मेलन के निर्णयों का अनुमोदन किया। बहुत से नागा लोग जो पहले विरोधी दल में थे और लुक-छिप कर आंदोलन चला रहे थे अब शांतिपूर्ण ढंग से जीवनयापन कर रहे हैं।

सिक्किम विकास योजना, जिसका खर्चा भारत वहन करता है, ठीक ढंग से चल रही है। गंगटोक से नाथूला तक सड़क तैयार हो गई है और यातायात के लिए खुल गई है। यह सड़क बहुत ही दुर्गम पहाड़ियों से होकर गुजरती है और इसके निर्माण के लिए हमारे इंजीनियर बधाई के पात्र हैं। 900 मील लम्बी सड़क बनाने के लिए गत वर्ष जनवरी में नेपाल, अमेरिका और भारत के बीच एक त्रिदलीय समझौता हुआ था। त्रिसूली जल विद्युत योजना के निर्माण के लिए एक और समझौता किया गया और योजना पर काम जारी हो गया है। यह योजना काठमांडू घाटी के लिए 12 हजार किलोवाट बिजली पैदा करेगी।

पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित लोगों के पुन:संस्थापन के काम में काफी उन्नति की जा चुकी है। जहां तक पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए लोगों का संबंध है, आशा की जाती है कि पुन:संस्थापन का अंतिम काम अर्थात् क्षतिपूर्ति की अदायगी इस वर्ष के भीतर समाप्त हो जायेगी। पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए लोगों में से करीब 60 हजार पिछले वर्ष शरणार्थी शिविरों से पुनर्वास के स्थानों में पहुंचा दिये गये। यह फैसला किया गया है कि इस वर्ष जुलाई के अंत तक पश्चिम बंगाल में सभी शिविर बन्द कर दिये जायें। हमें आशा है कि बाकी 35 हजार विस्थापित परिवार उस समय तक या तो काम और पुन:संस्थापन के लिए दण्डकारण्य में जा बसेंगे या दूसरे राज्यों में नियत बस्तियों में जा चुकेंगे।

गैर-सैनिक अनुमानित व्यय के बजट और वित्तीय नियंत्रण के संबंध में जो व्यवस्था थी उसमें सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। विकास योजनाओं को अधिक तेजी से कार्यान्वित करने की दृष्टि से प्रशासनिक मंत्रालयों को अधिक व्यापक वित्तीय अधिकार दिये गये हैं जिससे कि वे वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित और बजट में शामिल की गई मदों पर व्यय की स्वीकृति स्वयं दे सकें।

संसद के गत सत्र के बाद एक अध्यादेश, "दि इंडियन इनकम टैक्स (एमेन्डमेंट) आर्डिनेन्स 1959" जारी किया गया। इस अध्यादेश से संबंधित एक विधेयक संसद के सामने रखा जायेगा।

1958 में संसद द्वारा 49 विधेयक पारित किये गये। तेरह विधेयक आपके विचाराधीन हैं। विधेयकों और संशोधनों के रूप में मेरी सरकार कई वैधानिक प्रस्ताव संसद के समक्ष रखना चाहेगी। उनमें ये प्रस्ताव शामिल हैं:-

(1) दि कम्पनीज़ (एमेंडमेंट) बिल।

(2) एस्टेट ड्यूटी (एमेंडमेंट) बिल।

(3) दि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सब्सीडियरी बैंक्स) बिल।

(4) दि कोल माइन्स लेबर वेलफेयर फंड (एमेंडमेंट) बिल।

(5) दि ऑल इंडिया मेटरनिटी बेनिफिट बिल।

(6) बिल टू प्रोवाइड फॉर कम्पलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वेकेन्सीज़ बाई एम्पलोयर्स टू एम्पलोयमेंट एक्सचेंजिस।

(7) दि जिनेवा कनवेन्शन बिल।

(8) दि सेविंग्स बैंक (एमेंडमेंट) बिल।

(9) दि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (एमेंडमेंट) बिल।

(10) दि चिल्ड्रन बिल।

(11) ए बिल फार दि प्रीवेन्शन ऑफ क्रुएलटी टू एनीमल्स।

1959-60 वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमानित आंकड़े आपके सामने रखे जायेंगे।

संसार में तनाव की भावना अभी बनी हुई है और स्थिति में आधारभूत सुधार के लक्षण अभी दिखाई नहीं देने लगे हैं, यह मेरी सरकार के लिए चिन्ता का विषय है। मेरी सरकार बड़े राष्ट्रों के प्रति तटस्थता की नीति का बराबर अनुसरण कर रही है और तदनुसार तनाव को दूर करने के काम में यथासम्भव योगदान दे रही है।

विज्ञान और टैक्नोलोजी में महान प्रगति के कारण मानव ने अन्तर्नक्षत्रीय आकाश के समन्वेषण का साहस किया है और इसके फलस्वरूप मानवीय उन्नति की कल्पनातीत सम्भावनायें सामने आयी हैं। अन्य राष्ट्रों के साथ मेरी सरकार भी इस बात से चिंतित है कि विज्ञान की यह प्रगति अभी तक अधिकतर ऐसे विध्वंसात्मक शस्त्रों के बनाने में ही काम में लाई गई है जिनसे संसार के विनाश का संकट पैदा हो गया है।

मेरी सरकार को इस बात का खेद है कि जहां एक ओर न्यूक्लीयर और थर्मोन्यूक्लीयर विस्फोटों पर रोक लगाने की दिशा में जिनेवा में कुछ प्रगति हुई है, वहां दूसरी ओर इसके बारे में और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण समस्या अर्थात् निरस्त्रीकरण और विनाश के इन अस्त्रों पर रोक लगाने की दिशा में समझौता तो एक तरफ, सच्ची प्रगति भी अभी दिखाई नहीं दी है।

पिछले साल सितम्बर में मेरे प्रधान मंत्री ने उस समय के पाकिस्तानी प्रधान मंत्री के साथ सीमावर्ती इलाकों के संबंध में कुछ समझौते किये थे। पाकिस्तान में स्थित कूचबिहार के कुछ इलाकों और भारत में स्थित कुछ पाकिस्तानी इलाकों का विनिमय

भी इन समझौतों में शामिल था। इन समझौतों को कानूनी रूप देने के लिए मेरी सरकार आपके सामने प्रस्ताव रखेगी।

दूरस्थ और निकट के देशों से हमारे संबंध बराबर मैत्रीपूर्ण रहे।

जापान के सम्राट के निमंत्रण पर सितम्बर, 1958 के अंत में मैंने उस देश की यात्रा की और जापान के सम्राट तथा लोगों ने मेरा हार्दिक स्वागत किया।

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और मलाया के सर्वोच्च शासक के निमंत्रणों पर गत दिसम्बर, 1958 में मैंने उन देशों की यात्रा की और दोनों ही देशों की सरकारों तथा जनता ने उदारतापूर्वक मेरा स्वागत किया।

गत वर्ष सितम्बर में मेरे प्रधान मंत्री ने भूटान की यात्रा की, जिससे हमारा एक विशेष संधिगत संबंध है। वहां के शासक तथा लोगों ने उनका स्नेहपूर्ण स्वागत किया। प्रधान मंत्री ने उन्हें भारत और भूटान के बीच स्थायी मैत्री का आश्वासन दिया और यह कहा कि वहां के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का हमारा संकल्प है। हम आशा करते हैं कि भूटान और भारत के बीच यातायात के साधनों में सुधार के फलस्वरूप दोनों जगह के लोग एक दूसरे के और निकट आ जायेंगे।

सूडान, इराक, गिनी और क्यूबा में नई शासनसत्ताओं के स्थापित हो जाने पर मेरी सरकार ने उन्हें राजनयिक मान्यता प्रदान की।

पिछले वर्ष हमें अपने सम्मानित अतिथियों के रूप में महामहिम अफगानिस्तान के सम्राट, महामहिम नेपाल सम्राट तथा साम्राज्ञी, वियतनाम के लोकतंत्रात्मक गणराज्य के राष्ट्रपति, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति, न्यूजीलैंड, टर्की, कम्बोडिया, पाकिस्तान, कैनेडा, घाना, नार्वे, रूमानिया और अफगानिस्तान के प्रधान मंत्रियों, अर्थशास्त्र के जर्मन संघीय मंत्री, संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष, श्री हैनरी केबट लाज, और एडिनबरा के ड्यूक के स्वागत करने का श्रेय प्राप्त हुआ।

वियतनाम और कम्बोडिया में देखरेख और नियंत्रण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कमीशन आलोच्य वर्ष में कार्य करता रहा, किन्तु लाओस में कमीशन ने अनिश्चित काल तक के लिए अपनी कार्यवाही स्थगित की और यह निश्चय किया कि साधारण प्रणाली के अनुसार इसे फिर से बुलाया जा सकता है। मेरी सरकार को इस बात का खेद है कि लाओस में स्थिति और अधिक बिगड़ गई है और सुधार की जो आशा मैंने पिछले साल प्रकट की थी वह पूरी नहीं हुई फिर भी मेरी सरकार का बराबर यह विश्वास है कि जेनेवा समझौते से जो शांति वहां स्थापित हुई है वह बनी रहेगी और अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन के सदस्य एक दूसरे के साथ पूरा सहयोग करते रहेंगे और शांति स्थापना के हित में लाओस की सरकार का सहयोग भी उन्हें मिलता रहेगा।

भारत ने लेबनान स्थित संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक दल में भाग लिया और उस क्षेत्र में एक संकटापन्न स्थिति को सुलझाने में अपना विनम्र योगदान दिया।

दक्षिण अफ्रीका की घटनायें, जहां की सरकार पृथकता की नीति का कठोरता से अनुसरण कर रही है और जिसके कारण उस देश के अधिकांश लोगों को अपमान और यातनायें सहनी पड़ रही हैं, जिनसे संयुक्त राष्ट्र के अधिकारपत्र में दिये गये मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हमारे लिये घोर चिन्ता का विषय है। किन्तु इस बात से कुछ सन्तोष होता है कि संयुक्त राष्ट्र में बहुत बड़ा बहुमत इस नीति का विरोध करता है। हमारी बराबर यही आशा है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार संसार के जनमत का आदर करेगी और यह स्वीकार करेगी कि प्रबुद्ध अफ्रीका में ऐसी नीतियों का परिणाम यही होगा कि जातीय कटुता बढ़ेगी और अंत में संघर्ष होगा जो व्यापक हो सकता है।

भारत में गत वर्ष न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त के दफ्तर की स्थापना का मेरी सरकार ने स्वागत किया है।

पिछले साल हमारे देश में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए। देश के लोगों की ओर से बाहर से आने वाले महानुभावों का स्वागत और आतिथ्य कर और विश्व में सद्भावना और पारस्परिक आदान-प्रदान को उभारने में किंचितमात्र अपना योगदान दे सकने की मेरी सरकार को बहुत खुशी है।

संसद के सदस्यगण, मैंने आपके सामने पिछले वर्ष की प्रमुख घटनायें तथा सफलतायें रखी हैं। राष्ट्रीय विकास और उन्नति के संबंध में किसी हद तक हम अपने आप को मुबारिकबाद कह सकते हैं। किन्तु पहले से ही कहीं अधिक आज हमारा यह सौभाग्य और कर्तव्य है कि हम और अधिक दृढ़ता, अनुशासन और ध्येय-प्राप्ति की भावना के साथ लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में अपने देश के जनसाधारण के लिए वरदान बनाने का प्रयत्न करें।

मेरी सरकार की यह नीति है और वह सदा इस बात का प्रयत्न करती रहेगी कि इस पुण्य भूमि की और यहां के लोगों की स्वाधीनता तथा मान सदा सुरक्षित रहें, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक कल्याण की प्रवृत्तियों को बल मिले और ऐसी लोकतंत्रात्मक समाजवादी व्यवस्था का निर्माण हो जिसमें शांतिपूर्ण ढंग से जनमत के बल पर उन्नति की चेष्टा और प्राप्ति की जाये।

संसद के सदस्यगण, अब मैं आपका काम आपको सौंपता हूं और आपके प्रयत्नों में आप सबकी सफलता की कामना करता हूं। आपके प्रयत्न और आपकी एकता और अंतिम ध्येय की प्राप्ति की भावना तथा कर्तव्यपरायणता हमारे देशवासियों को अधिक सम्पन्न और सन्तुष्ट बनाने में, राष्ट्र के स्थायित्व और सुरक्षा को अधिक दृढ़ करने में और विश्व में शांति तथा सहयोग का संचार करने में सहायक हो, यही मेरी प्रार्थना है।